



## ऋण सुलभता के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच

### प्रलिस के लिये:

ऋण सुलभता के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच, [भारतीय रज़िर्व बैंक](#), क्रेडिट मूल्यांकन, [मौद्रिक नीति समिति](#), बाधा रहित ऋण, [रज़िर्व बैंक इनोवेशन हब](#), अकाउंट एग्रीगेटरस

### मेन्स के लिये:

ऋण सुलभता के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच, इसका महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य ऋण सुलभता के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के साथ ही ऋणदाताओं द्वारा नरिबाध और कुशल ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है तथा भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

- यह पहल RBI की विकासात्मक और नियामक नीतियों के हिससे के रूप में है तथा इसे अगस्त 2023 में [मौद्रिक नीति समिति \(MPC\)](#) की बैठक के बाद पेश किया गया था।

**नोट:** बाधा रहित ऋण उधार लेने का एक दृष्टिकोण है जो उपभोक्ताओं के लिये ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहता है। पारंपरिक क्रेडिट प्रणालियों, जहाँ व्यक्तियों को व्यापक कागज़ी कार्रवाई, क्रेडिट जाँच और लंबी अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है, के विपरीत यह बाधा रहित क्रेडिट हेतु एक सहज तथा तीव्र भुगतान का आश्वासन देता है।

## बाधा रहित ऋण के लिये सार्वजनिक तकनीकी मंच:

### परचिय:

- [रज़िर्व बैंक इनोवेशन हब \(Reserve Bank Innovation Hub- RBIH\)](#) द्वारा विकसित यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक **ओपन आर्कटिकचर**, **ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interface-API)** और मानक होंगे एवं सभी बैंक इस **"प्लग एंड प्ले (Plug and Play)"** मॉडल से जुड़ सकते हैं।
- सार्वजनिक तकनीकी मंच क्रेडिट की सुविधा के लिये सभी आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान कर इस प्रक्रिया को बाधा रहित बनाना चाहता है।

### प्रक्रिया:

- डिजिटल माध्यम से ऋण वितरित करने की इस प्रक्रिया में **क्रेडिट मूल्यांकन (Credit Appraisal)** शामिल है, जो उधारकर्ता की ऋण चुकाने तथा क्रेडिट समझौते का पालन करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।
- यह प्रक्रिया तीन स्तंभों पर नरिभर है:
  - प्रतिकूल चयन (उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच सूचना वषिमता)
  - एक्सपोजर रसिक मेज़रमेंट
  - डिफॉल्ट रसिक असेसमेंट

### प्रमुख डेटा स्रोत:

- यह प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकारों, [अकाउंट एग्रीगेटरस \(Account Aggregators- AA\)](#), बैंकों, क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी तथा डिजिटल पहचान प्राधिकरणों के डेटा को एकीकृत करेगा।
- एकीकरण से बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी तथा यह नयिम-आधारित ऋण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा।

### सीमा एवं कार्यक्षेत्र:

- वविधि ऋण प्रकार: प्लेटफॉर्म के दायरे में **किसान क्रेडिट कार्ड** (Kisan Credit Card- KCC) से परे डिजिटल ऋण शामिल हैं, जिनमें डेयरी ऋण, बनिा संपारश्वक के **MSME** ऋण, व्यक्तगत ऋण और गृह ऋण शामिल हैं।
- डेटा एकीकरण: यह आधार ई-केवाईसी, आधार ई-हस्ताक्षर, भूमरिक्ॉर्ड, उपग्रह डेटा, पैन सत्यापन, लपियंतरण (Transliteration), अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator- AA) द्वारा खातों को एकीकृत करने आदा जैसी वभिनिन सेवाओं से जुड़ा होगा।

## इसके लाभ और परणाम:

- **उन्नत ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन:**
  - यह प्लेटफॉर्म डेटा समेकन के माध्यम से **बेहतर ऋण जोखमि मूल्यांकन** और कुशल ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।
- **ऋण तक पहुँच में वृद्धि:**
  - सटीक जानकारी तक पहुँच से सूचति और **त्वरति ऋण मूल्यांकन** में सहायक मलति है। ऋण उपलब्धता के वसितार से पूंजी तक पहुँच की लागत कम होगी तथा उधारकर्ताओं को इसका लाभ मलतिगा।
- **परचालन लागत में कमी:**
  - यह प्लेटफॉर्म परचालन संबंधी चुनौतियों जैसे- बार बार बैंक का चक्कर लगाने और दस्तावेज़ संबंधी मांगों को संबोधति करता है, जिससे ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लयि लागत में कमी आती है।
    - भारतीय रज़िर्व बैंक के सर्वेक्षण से पता चलता है **कृषि ऋण की प्रोसेसिंग (स्वीकृत प्रदान करने में लगने वाला समय) में दो से चार सप्ताह का समय लगता है** तथा इसकी फीस ऋण के कुल मूल्य का लगभग 6% होती है।
- **दक्षता और मापनीयता/स्केलेबिलिटी:**
  - इस प्लेटफॉर्म की त्वरति संवतिरण और स्केलेबिलिटी जैसी सुव्यवस्थति प्रकरयियों की वजह से एक अधिक कुशल ऋण पारस्थितिकी तंत्र का नरिमाण होता है।

## आर्थिक वकिसा में वत्तितीय समावेशन और ऋण तक पहुँच का महत्त्व:

- **आय असमानता में कमी:**
  - वत्तितीय समावेशन कम आय वाले व्यक्तियों और नमिन स्थिति में रहने वाले समूहों सहति समाज के सभी वर्गों **कक्षावश्यक वत्तितीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित** करता है।
  - यह उन्हें **बचत करने, नविश करने और ऋण तक पहुँच प्राप्त करने, आय असमानताओं को कम करने तथा न्यायसंगत आर्थिक वकिसा को बढ़ावा देने** में मदद करता है।
- **उद्यमति और नवाचार:**
  - ऋण तक पहुँच **इच्छुक उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और वसितार करने में सक्षम बनाती है।**
  - इससे रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक वविधीकरण में वृद्धि होती है, ये सभी उच्च **सकल घरेलू उत्पाद** वकिसा तथा समग्र समृद्धि में योगदान देते हैं।
- **गरीबी उन्मूलन:**
  - आर्थिक रूप से बहिष्कृत व्यक्तियों को अक्सर **आर्थिक प्रगति में अनेक बाधाओं का सामना** करना पड़ता है।
  - ऋण तक पहुँच होने से उन्हें **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आय-सृजन गतिविधियों** में नविश करने, गरीबी से निकलने तथा समग्र वकिसा में मदद मलति है।
- **अवसंरचनात्मक वकिसा:**
  - बड़े पैमाने पर बुनयिदी ढाँचा परयोजनाओं के वत्तिपोषण के लयि पर्याप्त ऋण तक पहुँच होना आवश्यक है। **परविहन, ऊर्जा और संचार नेटवर्क क्षेत्र की ये परयोजनाएँ नरितर आर्थिक वकिसा की रीढ़ हैं।**
- **ग्रामीण वकिसा:**
  - कृषि अर्थव्यवस्थाओं में ऋण तक पहुँच **किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों में नविश करने में सक्षम बना सकती है, जिससे उत्पादकता और ग्रामीण वकिसा में वृद्धि होगी।** यह बदले में समग्र आर्थिक वकिसा का समर्थन करता है।
- **वत्तितीय स्थरिता:**
  - एक अच्छी तरह से काम करने वाला क्रेडिट बाज़ार व्यक्तियों और व्यवसायों के लयि फंडिंग स्रोतों में वविधिता लाकर वत्तितीय स्थरिता में योगदान देता है। यह अनौपचारिक उधार पर नरिभरता को कम करता है, जो अधिक अस्थरि और जोखमि भरा हो सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.ज़े.डी.वाई.) बैंक रहतियों को संस्थागत वत्ति में लाने के लयि आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वत्तितीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लयि तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2016)

**स्रोत: द हद्दि**

